न्यायालय: माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर, सर्किट कोर्ट
रीवा, म0प्र0.

निगरानी क्र0/ /014

20 Rs. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES 20 रु.

Rs. 20/-

805
20.11.14

R-4164-III/14

01- मनोरमा प्रसाद
02- रामलल्लू - पुत्रगण श्री श्यामकार्तिक प्रसाद पाठक
03- रामायण प्रसाद
04- रमापति
05- चन्द्रिका प्रसाद पिता श्री नारायण प्रसाद पाठक,
सभी निवासीगण ग्राम सुपेला, तहसील देवसर जिला सिंगरौली, म0प्र0.

------- आवेदकगण.

श्री शिवप्रसाद द्विवेदी एड
के द्वारा आज दिनांक 20.11.14
प्रस्तुत किया गया

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

विरुद्ध

रामायण प्रसाद पाठक तनय शंभू प्रसाद पाठक निवासी ग्राम सुपेला,
तहसील देवसर, जिला चितरंगी, म0प्र0.

------ अनावेदक

क्रमांक 3858
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक ______ को प्राप्त
4.12.14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0राजस्व सं0 1959
विरुद्ध आदेश तहसीलदार तहसील देवसर जिला सिंगरौली
म0प्र0 दिनांक 30.09.014 जो प्रकरण क्र0 1-अ-13/
13-14 में पारित ।

मान्यवर,

पुनरीक्षण से संबंधित तथ्य

(अ) अनावेदक द्वारा आवेदकगण के स्वत्व स्वामित्व व अधिपत्य की ग्राम सुपेला, तहसील देवसर स्थित भूमि खसरा नं0 265 के संदर्भ मे पुस्तैनी रास्ता व सड़क होने काकथन करते हुए धारा 131 म0प्र0भू0रा0सं0 के अधीन.

निरंतर....

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-4164/III/15 जिला सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-8-15 31/8/15	प्रकरण में आवेदक अभि० श्री शिवप्रसाद द्विवेदी उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अनावेदक के द्वारा आवेदक के भूमिस्वामित्व की भूमि नं. 265 में पुश्तैनी रास्ता व सड़क होने के बिन्दुओं के साथ भू-रा० संहिता की धारा 131 के तहत आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा निवेदन किया गया कि अनावेदक द्वारा आवेदक के स्वामित्व की भूमि को म०प्र० शासन दर्ज करने का निवेदन किया गया; जिसके संबंध में आवेदक द्वारा आपत्ति दर्ज कराते हुए निवेदन किया गया कि आवेदक का आवेदन संहिता की धारा 131 के तहत विचारणीय न होने से निरस्त किया जावे किन्तु तह० द्वारा आपत्ति आवेदन का निराकरण न कर अपने 30-9.14 के आदेश से पटवारी से मौके की जांच करने एवं वस्तुस्थिति के प्रतिवेदन के लिये आदेशित किया गया। तहसीलदार की यह कार्यवाही उचित नहीं है उन्हें पहले आपत्ति आवेदन का निराकरण करना था जो नहीं किया गया। निगरानी ग्राह्य करने का निवेदन किया गया। आवेदक अभिभाषक के तर्कों के क्रम में मेरे द्वारा प्रकरण पत्रिका का अवलोकन किया गया एवं निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं का अवलोकन किया गया तथा संलग्न तह० के आदेश दिनांक 30-9-14 का अवलोकन किया गया। आदेश दिनांक 30-9-14 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तह० द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश पारित न कर अंतरिम आदेश पारित कर प्रकरण में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मौके से प्राप्त करने हेतु पटवारी को आदेशित किया गया है तह० के आदेश दिनांक 30-9-14 से उभयपक्षों के हित अनुचित रूप से प्रभावित होने की भी कोई सम्भावना [illegible]। ऐसी स्थिति में तहसीलदार के आदेश दिनांक 30-9-14 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उभयपक्ष अपना पक्ष तहसीलदार के समक्ष रखें। उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी प्रकरण समाप्त किया जाता है। सदस्य	

[कृ. प. उ.